फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा व मुकाम सेड़वा

............लोकमानसिंह कौरा...बनाम......मामाराम कौरा...............

किस्म मुकदमा...राजस्व आवेदन.......मुकदमा नम्बर.........144........../2024

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/5/24	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री.....मेहराराम सारण........यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा......111, 128 RLR Act.........राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक.....11/06/24..........को पेश हो । (हस्ताक्षर)	
11/06/24	पत्रावली पेश हुई । पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों मे व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली [illegible] आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 18/06/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18/06/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। विपक्षीगण के सम्मन पूर्व पेशी तारीख पर Registered delivery Report सहित तामील शुदा प्राप्त होने के बावजूद कोई उप० नहीं हुआ। अत: उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया।	

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

अतः तत्सम्बन्धी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 144/2024 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

लक्ष्मणसिंह वगैरा बनाम मगनाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री विरेन्द्रसिंह भाटी आर.ए.एस
प्रार्थी वकील – श्री मेहराराम सारण

निर्णय दिनांक – 18/06/2024

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा धुड़ावा के खेत खसरा संख्या 464/314 रकबा 1.0441 हैक्टर, खसरा संख्या 523/464 रकबा 0.6961 हैक्टर, खसरा संख्या 463/314 रकबा 0.5989 हैक्टर, खसरा संख्या 525/463 रकबा 1.1898 हैक्टर, खसरा संख्या 314/138 रकबा 1.7968 हैक्टर, खसरा संख्या 465/314 रकबा 1.7968 हैक्टर** स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा धुड़ावा के खेत खसरा संख्या 464/314 रकबा 1.0441 हैक्टर, खसरा संख्या 523/464 रकबा 0.6961 हैक्टर, खसरा संख्या 463/314 रकबा 0.5989 हैक्टर, खसरा संख्या 525/463 रकबा 1.1898 हैक्टर, खसरा संख्या 314/138 रकबा 1.7968 हैक्टर, खसरा संख्या 465/314 रकबा 1.7968 हैक्टर** की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/06/24 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

18/6/24
(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1 लक्ष्मणसिंह पुत्र रामलाल 2. हरखाराम पुत्र रामलाल 3. थानाराम पुत्र रामलाल 4. चुतराराम पुत्र भगवानाराम 5. जमनादेवी पत्नि भगवानाराम 6. रमेशकुमार पुत्र भवानाराम 7. श्रवणकुमार पुत्र भगवानाराम जाति जाट, निवासी धुड़वा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	बनाम	1. मगनाराम पुत्र धोकलाराम 2.खीयाराम पुत्र धोकलाराम 3. रतनाराम पुत्र रिड़मल 4. डुगराराम पुत्र कानाराम 5. हेमराज पुत्र लाखाराम 6. खेता पुत्र जोगा 7. गोमा पुत्र जोगा 8. पदमा पुत्र जोगा 9. वनुदेवी पत्नि जोगा जाति जाट, निवासी धुड़ावा तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 10. जाम पुत्र मिठाल 11. सुभान पुत्र मिठाल 12. सादक पुत्र मिठाल 13. हुसेन पुत्र महबुव जाति मुसलमान, निवासी धुड़ावा, तहसील सेड़वा। 14. शकरगिरी पुत्र माधवगिरी जाति स्वामी, नि. धुड़ावा, 15. तहसीलदार सेड़वा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 144/2024

दिनांक : 18/06/2024

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में **तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र झड़पा भू.अ.नि. क्षेत्र अरटी के मौजा धुड़ावा के खेत खसरा संख्या 464/314 रकबा 1.0441 हैक्टर, खसरा संख्या 523/464 रकबा 0.6961 हैक्टर, खसरा संख्या 463/314 रकबा 0.5989 हैक्टर, खसरा संख्या 525/463 रकबा 1.1898 हैक्टर, खसरा संख्या 314/138 रकबा 1.7968 हैक्टर, खसरा संख्या 465/314 रकबा 1.7968 हैक्टर** के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

18/6/24
(विरेन्द्रसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2024/ 2115-18

दिनांक 18/06/2024

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–
1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी लक्ष्मणसिंह पुत्र रामलाल वगैरा।
3. विप्रार्थीगण मगनाराम पुत्र धोकलाराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

18/6/24
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा